



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
कक्ष संख्या 1025, दशम तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्रांक: 627 -उनिनि/2016/उप्रराविउसेआ/2016/एल०पी०डी०/चयन (प्रोन्नति)

दिनांक: 25 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद सबार्डिनेट विद्युत एवं यंत्रिक अभियन्त्रण सेवा विनियमावली 1972 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की सेवा में कार्यरत आपरेटिंग स्टाफ (कुशल) के सदस्यों (Members of Operating Staff Skilled) से, जो निम्नलिखित अर्हतायें, शर्तें एवं निरन्तर सेवा दिनांक 01.07.2016 को पूर्ण करते हैं, से 8.33% कोटा के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) विद्युत एवं यंत्रिक के 66 पदों पर चयन के माध्यम से पदोन्नति हेतु निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-‘क’) में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

(क) अर्हताएं एवं शर्तें :

1. आपरेटिंग स्टाफ (कुशल) के सदस्यों (Members of Operating Staff Skilled) से, जिन्होंने संलग्नक -‘ख’ में वर्णित डिप्लोमा/डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा डिप्लोमा/डिग्री पूर्ण करने की तिथि से 02 वर्ष (चयन वर्षों में) या अधिक की निरन्तर सेवा दिनांक 01.07.2016 को पूर्ण की हो अर्थात् दिनांक 01.07.2014 तक डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह होंगे।
2. दूरस्थ शिक्षा (Distance Learning Education) से प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र विषयगत चयन हेतु मान्य नहीं होंगे।

(ख) चयन प्रक्रिया :

1. पदोन्नति लिखित, मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा के आधार पर की जायेगी। वे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित होंगे उन्हें चयन की द्वितीय चरण की मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
2. लिखित परीक्षा (पाठ्यक्रम संलग्नक-‘ग’) निम्नांकित विषयों पर आधारित होगी :-

प्रश्नपत्र	प्रकार	अंक
सामान्य ज्ञान (पाठ्यक्रम भाग-अ)-50 प्रश्न	वस्तुनिष्ठ	50
ताप विद्युत गृह से सम्बन्धित (पाठ्यक्रम भाग-ब)-150 प्रश्न	वस्तुनिष्ठ	150
प्रयोगात्मक परीक्षा	-	15
मौखिक परीक्षा	-	20

3. लिखित परीक्षा अधिकतम समय सीमा 03 घण्टे की होगी।
4. लिखित परीक्षा में कट ऑफ अंक 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा हेतु अर्ह होंगे। परीक्षा परिणाम लिखित, प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित अंको को जोड़कर तैयार किया जायेगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के क्रमांक-7 पर निलम्बन/दण्ड सम्बन्धी दिये गये विवरण में किसी भी स्तर पर (चयन प्रक्रिया की अवधि/पदोन्नति के उपरान्त) कोई असंगत/असत्य सूचना पाई जाती है तो अभ्यर्थी का चयन हेतु अभ्यर्थन/पदोन्नति निरस्त कर दी जायेगी।

उक्त आवेदन पत्र अर्ह एवं इच्छुक कर्मिकों द्वारा उनके नियंत्रक अधिकारी (जो अधिशासी अभियन्ता स्तर से कम न हो) के माध्यम से सम्बन्धित ताप विद्युत गृह के परियोजना प्रमुख के कार्यालय में जमा करना होगा। कर्मिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जाँचोपरान्त संकलित विवरण सहित परियोजना स्तर से सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, लखनऊ के कार्यालय को 20 दिवसों के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक : यथोपरि (संलग्नक-‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’)



निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

(Handwritten signature)

